फारम- VIII -क

कार्यालय नगर परिषद्, हाजीपुर

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या -8(4)

आपके आवदेन संख्या -115..... तिथि-24.12.19 के संदर्भ में
श्री[illegible]..... पिता/पति[illegible]..... पता-[illegible]..... थाना - हाजीपुर, जिला - वैशाली ।

(क) आवासीय सह व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनः निर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्त्तन या परिवर्धन

(ड.) भवन के उपयोग में परिवर्त्तन

हेतु हाजीपुर नगर परिषद्/नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम115..... प्लॉट नं0-1015,1016, खाता नं0-1006 तौजी नं0- बिहार सरकार, थाना नं0-, मौजा-, पता- थाना-1017..... जिला-वैशाली..... के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लॉन् केस नं0115..... है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल1025.04..... वर्ग मीटर एवं की स्वीकृति दी जाती है :-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना मे दर्शाया गया 2781.25..... वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखाजाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि4.....मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहूँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड.) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में आवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चोड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयेजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद् हाजीपुर आयोजना क्षेत्र में वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

All work 2019 j.e saheb

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अंधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की जगह हो, के अधिकारी, हक हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तो के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किए जाने के साथ-आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जाए, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनयिमितता / विचलन पाए जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ड) Environmental ProtectionAct. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ढ़) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ण) बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए भवन निर्माण किया जाएगा।

(त) DIG HG & FS -Cum- State Fire Officer Bihar, Patna के पत्रांक 301 दिनांक 10.02.2021में निहित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा, अन्यथा नक्शे की स्वीकृति स्वतः रद्द समझी जाएगी।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् हाजीपुर

10/3/2021

दिनांक : 10/3/2021

पत्रांक : 745

प्रतिलिपि :

.....

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् हाजीपुर

10/3/2021

10/3/2021

10/03

All work 2019 j.e saheb